कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0बजट–36/2019–462 **दिनांक : 20.08.2020**

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग/ वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची/ उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर/ उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर/ पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन्यप्रणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण, नये ग्रासलैंड निर्माण एवं वन्यप्राणी पर्यावास का विकास उन्नयन का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु कुल **रू0 128.718 लाख (एक करोड़ अठाईस लाख एकहत्तर हजार आठ सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट–38/2019–48/स्वी0 व0प0 दिनांक–22.10.2020 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–38/2019–18/आ0 व0प0 दिनांक 10.08.2020 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–61–वन्यप्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020–21 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 128.718 लाख (एक करोड़ अठाईस लाख एकहत्तर हजार आठ सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101610103	86.282
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101610323	42.436
कुल :–		**128.718**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यो की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2 (क) से (ग)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601101610103, 19S240601101610323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक–1254 दिनांक–20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय–समय पर निर्गत योजना–सह–वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

7. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के अनुरुप किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरुप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरुप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

14. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते है उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेगें।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्मपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(V) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ–साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड़ भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ–साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VII) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बडी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेगें तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरुप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(XI) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XII) श्रोत पर (At source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

18. राशि का उप आवंटन इस शर्त्त के साथ की जाती है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही राशि का व्यय करेंगे।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–36/2019–462** दिनांक– **20.08.2020**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्रणी, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–36/2019–462** दिनांक– **20.08.2020**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/ डोरण्डा, राँची/ जमशेदपुर/ मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जानेवाली "वन्यप्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर रू0 257.29/– प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्य विवरणी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामाग्री	योग
i	ii	iii	iv	viii	ix	x
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग।	**1. हजारीबाग वन्यप्राणी आश्रयणीः–** (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	600	2.161	0.579	2.740
		2. कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणीः– (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	600	2.161	0.579	2.740
		3. गौतमबुद्धा वन्यप्राणी आश्रयणीः– (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	600	2.161	0.579	2.740
		4. लावालौंग वन्यप्राणी आश्रयणीः– (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	600	2.161	0.579	2.740
		5. उधवा झील पक्षी आश्रयणीः– (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	300	1.081	0.290	1.371
हजारीबाग वन्यप्राणी प्रमण्डल का योग :–				**9.726**	**2.606**	**12.332**
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची।	**पालकोट वन्यप्राणी आश्रयणीः–** (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	300	1.081	0.290	1.371
		(ii) नये ग्रासलैंड का विकास (5 हे0)	5	1.608	1.100	2.708
राँची वन्यप्राणी प्रमण्डल का योग :–				**2.689**	**1.390**	**4.079**
3	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर।	**दलमा वन्यप्राणी आश्रयणीः–** (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	1670	6.016	1.612	7.628
		(ii) वन्यप्राणी पर्यावास का विकास उन्नयन	70	4.088	0.798	4.886
गज परियोजना, जमशेदपुर का योग :–				**10.104**	**2.410**	**12.514**
4	उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।	**पलामू व्याघ्र आरक्षः–** (i) नये ग्रासलैंड निर्माण (100 हे0)	100	32.161	22.000	54.161
उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर का योग :–				**32.161**	**22.000**	**54.161**

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्य विवरणी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामाग्री	योग
i	ii	iii	iv	viii	ix	x
5	उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।	**(i)** नये ग्रासलैंड निर्माण (49.5 हे0)	49.5	15.920	10.890	26.810
		(iii) वन्यप्राणी पर्यावास का विकास उन्नयन (250 हे0)	250	14.601	2.850	17.451
		(iv) नेतरहाट में मैग्नीलिया प्वाईंट के परिवेश में मैग्नोलिया प्रजाति के पौधों का बॉस गैबियन के साथ पौधारोपण	300	1.081	0.290	1.371
दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर का योग :–				**31.602**	**14.030**	**45.632**
सकल योगः–				**86.282**	**42.436**	**128.718**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

D:\DEVELOPMENT\2020-21\Allotment\OA\Wildlife Conservation & Crime Control\2nd year\2nd year

अनुलग्नक–2 (क)

योजना का नाम– पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन के साथ वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

1. बाँस–गैबियन का आकार:6'-6"x2'-6"x2'-6"

3 मजदूरी दर प्रति मानव दिवस: 257.29 रूपये

. स्पेसिंग – पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी0

पौधे से पौधे की दूरी – 5 मी0

कम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	वित्तीय वर्ष 2020–21 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	25.00	25.00	छः फीट ऊँचाई के काष्ठ, फलदार एवं शोभाकार प्रजाति के Evergreen पौधे लगाए जाऐंगे
2	गड्ढ़े में डालने हेतु बालू एवं वर्मी कम्पोस्ट का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैबियन	0.15	38.59	20.00	58.59	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैबियन	0.10	25.73	2.00	27.73	
4	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैबियन	0.15	38.59	4.50	43.09	
5	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	128.65	25.00	153.65	
6	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	128.65	0.00	128.65	
7	साईन–बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
	योग		1.40	360.21	96.50	456.71	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2 (ख)

पलामू ब्याघ्र आरक्ष में 1 हे0 वनभूमि में घासस्थलों के विकास एवं रख–रखाव कार्यो हेतु कार्य दर

मजदूरी दर प्रति मानव दिवसः 257.29 रूपये

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(A)	वित्तीय वर्ष 2020–21 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)					
1	वर्षा के पूर्व स्थल की ट्रेक्टर द्वारा जुताई 6" गहराई तक एवं खाद मिलाना एवं वीड्स निकालना	10	2572.90	2000.00	**4572.90**	औसत 4 घंटा प्रति हे0 / 500/- प्रति घंटा
2	घास एवं उसके बीजो का संग्रहण/क्रय	0	0.00	10000.00	**10000.00**	—
3	घास/घास के बीजों का बालू या मिट्टी मिश्रण के साथ broadcasting /रोपण	15	3859.35	0.00	**3859.35**	
4	कंपोस्ट एवं गोबर खाद –12 टन/हेक्टेयर	0	0.00	9000.00	**9000.00**	—
5	दो बार निकाई/पानी पटवन एवं सुरक्षा	40	10291.60	1000.00	**11291.60**	—
7	झाड़ी घेरान (10 चेन लंबाई हेतु)	60	15437.40	0.00	**15437.40**	प्रति हे0 औसत 10 चेन
	योग	**125**	**32161.25**	**22000.00**	**54161.25**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2 (ग)

योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रू0 में) : **257.29** कार्य दर प्रति हे0

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2020–21 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	Presprouted Root-Shoot एवं Poly Tube Seedling स्थाई पौधशाला (न्यूनतम 40 प्रतिशत)	220	2	514.58	640.00	1154.58	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रू 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी
2	वृक्षारोपण		4.40	1132.08	0.00	1132.08	
3	दो कोड़नी निकौनी	हे0	5	1286.45	0.00	1286.45	
4	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)	हे0	0	0.00	500.00	500.00	
5	सिंगलिंग कार्य		4	1029.16	0.00	1029.16	
6	पौधों की सुरक्षा (25 हे0 तक के लिए पशुरक्षक)		7.30	1878.22	0.00	1878.22	ट्रेन्च घेरान की मरम्मति
	योग–		**22.70**	**5840.48**	**1140.00**	**6980.48**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

D:\DEVELOPMENT\2020-21\Allotment\OA\Wildlife Conservation & Crime Control\2nd year\Rate

झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है ।

पत्र संख्या - 01/YB-36/2019/462 दिनांक - 20-Aug-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101610103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Centeral Scheme : NA	38353	HZBFWL016 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O.WILD LIFE HZB	972,600.00 रुपये नौ लाख बहत्तर हजार छः सौ
2	S 19 240601101610103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Centeral Scheme : NA	38355	DRNFWL049 RAJIV RANJAN DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	268,900.00 रुपये दो लाख अडसठ हजार नौ सौ

योग: 1,241,500.00

क्रमिक योग: रुपये बारह लाख इकतालीस हजार पॉच सौ

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

59.97.150.68

Run Date: 20/8/2020

पत्र संख्या - 01/YB-36/2019/462 दिनांक - 20-Aug-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601101610103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Centeral Scheme : NA	38356	JSRFOR002 CHANDRA MAULI PRASAD SINHA DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR	1,010,400.00 रुपये दस लाख दस हजार चार सौ
4	S 19 240601101610103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Centeral Scheme : NA	38360	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.NORTH.DIV.MED	3,216,100.00 रुपये बत्तीस लाख सोलह हजार एक सौ
5	S 19 240601101610103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Centeral Scheme : NA	38363	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.SOUTH.DIV.MED	3,160,200.00 रुपये इकतीस लाख साठ हजार दो सौ

योग: 7,386,700.00

क्रमिक योग: रुपये छियासी लाख अठाइस हजार दो सौ 8,628,200.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCH

59,97,150.68

Run Date:- 20/8/2020

पत्र संख्या - 01/YB-36/2019/462 दिनांक - 20-Aug-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601101610323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Centeral Scheme : NA	38366	HZBFWL016 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O.WILD LIFE HZB	260,600.00 रुपये दो लाख साठ हजार छः सौ
7	S 19 240601101610323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Centeral Scheme : NA	38368	DRNFWL049 RAJIV RANJAN DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	139,000.00 रुपये एक लाख उनचालीस हजार
8	S 19 240601101610323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Centeral Scheme : NA	38370	JSRFOR002 CHANDRA MAULI PRASAD SINHA DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR	241,000.00 रुपये दो लाख इकतालीस हजार

योग: 640,600.00

क्रमिक योग: रुपये बयानवे लाख अडसठ हजार आठ सौ 9,268,800.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCH

 59.97.150.68 Run Date: 20/8/2020

पत्र संख्या : 01/YB-36/2019/462 दिनांक - 20-Aug-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601101610323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Centeral Scheme : NA	38371	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.NORTH.DIV.MED	2,200,000.00 रुपये बाइस लाख
10	S 19 240601101610323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Centeral Scheme : NA	38375	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.SOUTH.DIV.MED	1,403,000.00 रुपये चौदह लाख तीन हजार

योग: 3,603,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड अठाइस लाख इकहत्तर हजार आठ सौ 12,871,800.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

 59.97.150.68 Run Date: 20/8/2020